रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112026-278168
CG-DL-E-25112026-278168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6145] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2026/अग्रहायण 4, 1948
No. 6145] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2026/AGRAHAYANA 4, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2026

आय-कर

का.आ. 6385(अ).— 1 अप्रैल, 2026 से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का निरसन कर दिया गया है और आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का पुन: अधिनियमन किया गया है ;

और, आय-कर नियम, 1962 के नियम 10गक के उपनियम (7) के परंतुक के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उपधारा (2) का तीसरा परंतुक उपबंध करता है कि जहां अधिनियम की धारा 92ग के अधीन अवधारित आसन्निकट कीमत तथा उस कीमत, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वस्तुत: किया गया है, के बीच अंतर पश्चातवर्ती कीमत के ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं है, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, तो वह कीमत जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वस्तुत: किया गया है, आसन्निकट कीमत समझी जाएगी ;

और, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 535(2), अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उन अनुकूलनों या उपांतरणों के लिए उपबंध कर सकेगा, जिनके अधीन

रहते हुए आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले कर वर्ष या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष के लिए निर्धारणों के संबंध में लागू होगा ;

और, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले कर वर्ष, जो निर्धारण वर्ष 2026-2027 से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष है, के आसन्निकट कीमत के अवधारण के संबंध में कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 535 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आय-कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2026 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए सहनशीलता श्रेणी की अधिसूचना—31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले कर वर्ष के लिए निर्धारणों के संबंध में, जो निर्धारण वर्ष 2026-2027 से सुसंगत पूर्ववर्ती कर वर्ष है और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, जहां उस अधिनियम की धारा 92ग के अधीन अवधारित आसन्निकट कीमत और उस कीमत, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वस्तुत: किया गया है, के बीच अंतर निम्नलिखित से अधिक नहीं है—

(i) थोक व्यापार के संबंध में पश्चातवर्ती का एक प्रतिशत ;

(ii) अन्य सभी मामलों में पश्चातवर्ती का तीन प्रतिशत,

वह कीमत, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वस्तुत: किया गया है, आसन्निकट कीमत समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, "थोक व्यापार" से माल के व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(क) तैयार माल की क्रय लागत ऐसे व्यापार क्रियाकलापों से संबंधित कुल लागत की अस्सी प्रतिशत या अधिक है; और

(ख) ऐसे माल की मासिक औसत समाप्त होने वाली सूची ऐसे व्यापार क्रियाकलापों से संबंधित विक्रय का दस प्रतिशत या उससे कम है ।

[अधिसूचना सं.153/2026/फा. सं. 500/1/2014-एपीए2]

कार्तिक चेबोली, आय-कर उपायुक्त (ओएसडी)(एपीए1)
एफटीएनटीआर-1, सीबीडीटी

स्पष्टीकारक ज्ञापन

आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 535 के अधीन किया गया यह आदेश, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले कर वर्ष, जो निर्धारण वर्ष 2026-2027 से सुसंगत पूर्ववर्ती कर वर्ष है, के लिए निर्धारणों के संबंध में थोक व्यापार के लिए एक प्रतिशत और अन्य सभी मामलों में तीन प्रतिशत की सहनशीलता श्रेणी के लिए उपबंध करता है । यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आदेश को भूतलक्षी प्रभाव देने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2026

INCOME-TAX

S.O. 6385(E).— Whereas the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) has been repealed and reenacted as the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) (hereinafter referred to as the said Act) with effect from the 1st April, 2026;

And whereas, the third proviso to sub-section (2) of section 92C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with the proviso to sub-rule (7) of rule 10CA of the Income-tax Rules, 1962 provides that where the variation between the arm's length price determined under section 92C of that Act and the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken, does not exceed such percentage of the latter as may be notified by the Central Government in this behalf, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price;

And whereas, section 535 (2) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), *inter alia*, provides that any order issued under sub-section(1) of the said section may provide for the adaptations or modifications subject to which the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall apply in relation to the assessments for the tax year ending on 31st March 2026, or any earlier year;

And whereas, difficulties have arisen in relation to the determination of the arm's length price for the tax year ending on the 31st March, 2026, being the previous year relevant to the assessment year 2026-2027;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 535 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement — (1) This Order may be called the Income-tax (Removal of Difficulties) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Notification of Tolerance Range for assessment year 2026-27.— In relation to the assessments for the tax year ending on the 31st March, 2026, being the previous year relevant to the assessment year 2026-2027 and for the purposes of the third proviso to sub-section (2) of section 92C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), where the variation between the arm's length price determined under section 92C of that Act and the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed—

(i) one per cent. of the latter in respect of wholesale trading; and

(ii) three per cent. of the latter in all other cases,

the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price.

Explanation.- For the purposes of this Order, the expression "wholesale trading" means an international transaction or specified domestic transaction of trading in goods, which fulfils the following conditions, namely:-

(a) purchase cost of finished goods is eighty per cent. or more of the total cost pertaining to such trading activities; and

(b) average monthly closing inventory of such goods is ten per cent. or less of sales pertaining to such trading activities.

[Notification No.153/2026/F. No. 500/1/2014-APA-II]

KARTHIK CHEBOLI, Dy. Commissioner of Income Tax (OSD)(APA-I)
FT&TR -I, CBDT

Explanatory Memorandum

This Order, made under section 535 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), provides for a tolerance range of one per cent. for wholesale trading and three per cent. in all other cases, in relation to the assessments for the tax year ending on the 31st March, 2026, being the previous year relevant to the assessment year 2026-2027. It is certified that none will be adversely affected by the retrospective effect being given to this Order.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA